राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.17(इ)परावि/पंचा.दिवस/2014/ 1938 जयपुर, दिनांक: 24/06/14

—:: परिपत्र ::—

पंचायत दिवस कार्यक्रम के तहत विभाग के विभिन्न अधिकारियों के जिलों में भ्रमण करने पर प्राप्त फीडबैक के अनुसार यह तथ्य ध्यान में आया है कि बहुत से जिलों में कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारियों द्वारा बिना किसी विभागीय पूर्वानुमति के अपने स्तर पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा रहा है तथा इसकी कोई सूचना विभाग को नहीं दी जा रही है। यह भी अनुभव किया गया है कि अक्सर कनिष्ठ कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में करने के कारण प्रशासनिक न होकर व्यक्तिगत/विभिन्न तथ्यों के दबाव भी रहे है। यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कोई भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी भविष्य में किसी भी कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी को आदेशों की प्रतीक्षा में बिना विभागीय पूर्वानुमति के नहीं करेगा। अगर दोषी कर्मचारी पर गम्भीर आरोप हो तो उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाऐ एवं आरोप पत्र प्राथमिक जाँच कर अविलम्ब दिये जावें। प्रशासनिक दृष्टि से अपवाद स्वरूप अगर किसी कर्मी को आदेशों की प्रतीक्षा में करना अत्यावश्यक हो तो कारण देते हुए विभागीय पूर्वानुमति प्राप्त की जायें व ऐसा करना संभव न हो पा रहा हो तो संबंधित जिले के जिला कलक्टर से सम्पूर्ण स्थिति का विवरण देते हुए लिखित में पूर्वानुमति ली जायें ऐसी परिस्थिति में मुख्यालय को अविलम्ब सूचित किया जायें।

अगर किसी अधिकारी ने इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित नहीं की तो वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे। 20 जून तक प्रत्येक जिले में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी के आदेशों से कब से एवं किन कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा है। इसका विवरण 3 दिवस में मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सूचित करावें कि क्या आदेशों की प्रतीक्षा में किये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है अथवा नहीं।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी, जिला परिषद – समस्त।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय

DS(A-II)

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

D:\Chawla\LTR AC.docx